कोर्ट केस/समयबद्ध!

कार्यालय

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।

विधि प्रकोष्ठ 'पंचम तल' 85, राजपुर रोड, देहरादून। ☎ 0135-2742488 Email-nodallegalcell.uk@gmail.com

पत्रांक 760 /29-3(3) देहरादून : दिनांक 18 अगस्त, 2023

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक, उत्तराखण्ड।

विषय : मा0 उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, देहरादून एवं नैनीताल बैंच के समक्ष योजित होने वाले वादों का प्रभावी अनुश्रवण एवं पैरवी के संबंध में।

महोदय,

श्री वेद प्रकाश देवरानी, सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, मा0 उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, देहरादून एवं श्री किशोर कुमार, सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, मा0 उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, नैनीताल द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 अधिकरण में योजित वादों में प्रभागों द्वारा समन्वय स्थापित न होने के कारण प्रत्युत्तर योजित करने में अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है तथा समय से पैरवी ना होने के कारण विभागीय हित प्रभावित हो रहे हैं। मुख्यालय के कोर्ट सैल में भी मा0 अधिकरण में योजित वादों की पूर्ण सूचना उपलब्ध ना होने से इससे सम्बन्धित प्रकरणों के अनुश्रवण में कठिनाई हो रही है।

यह भी उल्लेख करना है कि मा0 उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, देहरादून एवं नैनीताल बैंच के समक्ष योजित होने वाले वादों की प्रति व मा0 अधिकरण द्वारा निर्गत नोटिस की प्रति अधिकांश मामलों में संबंधित प्रभागों/कार्यालयों को प्रेषित की जाती है, जिससे संबंधित वादों की अद्यतन स्थिति एवं प्रभाग/कार्यालय स्तर से मा0 अधिकरण के समक्ष दाखिल प्रत्युत्तर/शपथ पत्र की सूचना कार्यालय में प्राप्त नहीं होती है।

अतः उक्त के क्रम में निर्देशित करना है कि भविष्य में मा0 उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, देहरादून एवं नैनीताल बैंच के समक्ष योजित होने वाले वादों की प्रति, दाखिल प्रत्युत्तर एवं अद्यतन स्थिति का विवरण इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से नियमित उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस प्रभावी अनुश्रवण इस कार्यालय द्वारा किया जायेगा। उक्त न्यायालयों में वादों के संबंध में समन्वय स्थापित करने के लिये इस कार्यालय के पत्रांक-1016/29-3 दिनांक 08.06.2023 द्वारा कोर्ट शाखा, नैनीताल को निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिनके माध्यम से अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

संलग्नक : - यथोपरि।

I.T. O.C
वैब MISC UC अपलोड
करें

भवदीय,

18/8/23

(मान सिंह)
मुख्य वन संरक्षक,
सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ।

VC CF 18.8.2023

146-D:\May to Aug 2023\Letter.docx

सर्वोच्च प्राथमिकता/कोर्ट केस/समयबद्ध

कार्यालय
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।

विधि प्रकोष्ठ भवन, एल 85, राजपुर रोड, देहरादून। ☎ 0135-2742486 Email-nodallegalcell.uk@gmail.com

पत्रांक -1016 /29-3(3) देहरादून : दिनांक 08 जून, 2023

सेवा में,

श्री पंकज तिवाड़ी,
उप राजिक,
कोर्ट सैल, नैनीताल।

विषय : मा० उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, नैनीताल बैंच, नैनीताल में वन विभाग के विरूद्ध योजित वादों के संबंध में।

श्री किशोर कुमार, सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, मा० उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, नैनीताल ने अवगत कराया है कि वन विभाग के विभिन्न कार्यालयों के विरूद्ध योजित वादों में विभागीय पैरोकार ना होने से संबंधित कार्यालयों से समन्वय तथा सूचनाओं का आदान-प्रदान नहीं हो पा रहा है, जिससे वादों की प्रभावी पैरवी नहीं हो पा रही है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप मा० उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, नैनीताल बैंच, नैनीताल के कार्यालय में प्रत्येक सप्ताह मंगलवार एवं शुक्रवार कार्य दिवसों में श्री किशोर कुमार, सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर वन विभाग से सम्बन्धित मामलों में समन्वय तथा पैरोकारी करना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थिति से इस कार्यालय एवं सम्बन्धित को अवगत करायेंगे।

भवदीय,

(मान सिंह)
मुख्य वन संरक्षक,
सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ।

संख्या :-1016 /29-3(3) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून के संज्ञानार्थ प्रेषित।

2. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ एवं गढ़वाल उत्तराखण्ड को उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. श्री किशोर कुमार, सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मा० उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, नैनीताल बैंच, नैनीताल।

(मान सिंह)
मुख्य वन संरक्षक,
सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ।